फर्द अहकाम

राजेन्द्र प्रसाद बनाम सरकार

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 45/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	26/7/24	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता प्रार्थी हाजिर। अपीलांट / प्रार्थी का प्रतिनिधित्व करने ... पूर्वानुसार दिनांक .... पेश हो। 5/8/24
	5/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट/जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 12/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर
	12/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रा.पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं दस्तावेजात का अवलोकन करने पर व बहस को मनन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया जाता है। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल दर्ज रजिस्टर होकर नकल दी जावे तथा बाद मियाद दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

(12)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
45 / 2024	27 / 03 / 2024	12 / 08 / 2024

1. रामेश्वर प्रसाद मीना पुत्र बरदूराम मीना, जाति मीना निवासी पातलवास, तहसील आंधी, जिला जयपुर (राज)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए श्रीमान तहसीलदार महोदय, आंधी, जिला जयपुर (राज)।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

श्री महेश शर्मा – वकील प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र बाबत् दुरूस्ती नाम इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री महेश शर्मा के यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी ने नाम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि आराज़ी वर्तमान नये खाता संख्या 10 के खसरा नम्बर 326, 389 कुल रकबा 1.09020, नये खाता संख्या 11 के खसरा नम्बर 205, 380, 391 कुल रकबा 3.0600है0 नये खाता संख्या 102 के खसरा नम्बर 384 रकाब 4.2100है0, नये खाता संख्या 181 के खसरा नम्बर 404 रकबा 4.9800है0 अनुसार भूमि ग्राम पातलवास, पटवार हल्का सानकोटडा, तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थी अपने पिता स्वर्गीय बरदूराम उर्फ बिरदा की विरासत की हैसियत से राजस्व रिकार्डेड में अपने हिस्से तक खातेदार काबिज काश्तकार चला आ रहा है। उक्त भूमि प्रार्थी के हक अधिकार मालिकाना एंव हक स्वामित्वता की पैतृक सम्पत्ति चली आ रही है। जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत रामू पुत्र बिरदा अनुसार गलत अंकित है जबकि प्रार्थी का सही नाम रामेश्वर प्रसाद मीना पुत्र बरदूराम मीना अनुसार है जिससे कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत अंकित होने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार बाधित हो रहे है। प्रार्थी को भूमि से संबंधित किसी भी राजकीय कार्य/सहायता में परेशानी का सामना करना पड रहा है तब जाकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अतः उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम रामू पुत्र बिरदा के स्थान पर सही नाम रामेश्वर प्रसाद मीना पुत्र बरदूराम मीना अंकित किया जाकर चली आ रही गलती को सुधार किये जाने एवं उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का सही नाम रामेश्वर प्रसाद मीना पुत्र बरदूराम मीना अंकित किये जाने के आदेश फरमावें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक /आर.टी./2024/459 दिनांक 15.05.24 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पातलवास, पटवार हल्का सानकोटडा, तहसील आंधी में आराजी कृषि भूमि में खसरा नम्बर 326 रकबा 0.70है0, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.3900है0, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.3400है0, खसरा नम्बर 380 रकाब 2.4800है0, खसरा नम्बर 391 रकबा 0.2400है0, खसरा नम्बर 404 रकाब 4.9800है0 तथा खसरा नम्बर 384 रकबा 4.2100है0 में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामू पुत्र बिरदा जाति मीना है। प्रार्थी का आधार कार्ड में रामेश्वर पुत्र बरदू व राशन कार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

रामेश्वर प्रसाद पुत्र बरदूराम व बैंक पासबुक में रामेश्वर प्रसाद पुत्र बरदूराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में रामू पुत्र बिरदा है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में रामू पुत्र बिरदा दर्ज है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजों में अलग–अलग नाम है कुछ दस्तावेज में रामेश्वर प्रसाद है व कुछ में रामेश्वर पुत्र बरदू है। प्रार्थी के दस्तावेजों का राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे रामेश्वर पुत्र बिरदा है तथा प्रार्थी के दस्तावेजों में अलग–अलग नाम अंकित है इसलिए स्पष्ट नही किया जा सकता कि प्रार्थी का नाम रामेश्वर पुत्र बिरदा किया जाये या रामेश्वर प्रसाद पुत्र बरदू किया जावें।

प्रार्थी अधिवक्ता व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेशित दिया जाता है कि ग्राम पालतवास, पटवार हल्का सानकोटडा, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण, राजस्थान में स्थित प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 326 रकबा 0.70है0, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.3900है0, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.3400है0, खसरा नम्बर 380 रकाब 2.4800है0, खसरा नम्बर 391 रकबा 0.2400है0, खसरा नम्बर 404 रकाब 4.9800है0 तथा खसरा नम्बर 384 रकवा 4.2100है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामू पुत्र बिरदा के बजाय रामू उर्फ रामेश्वर प्रसाद मीना पुत्र बरदूराम मीना दर्ज कर दुरूस्त किया जावें। तदनानुसार खातेदार घोषित किया जाता है। प्रार्थी का हिस्से पूर्वानुसार रहेगा।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़